कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

संपदा शाखा – साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)

दूरभाष : 07759–221288, फैक्स : 07759–221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, **Email** : corporationkorba@gmail.com

क्रमांक / 15 / संपदा / 2026 / 20340 कोरबा, दिनांक 20 / 03 / 2026

पं.रविशंकर शुक्ल नगर विस्तार कोरबा में निर्मित भवनों के आबंटन की निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम कोरबा की पं.रविशंकर शुक्ल नगर विस्तार कोरबा में नीचे अंकित विवरण अनुसार जूनियर एच.आई.जी. आवास गृह पूर्ण मूल्य भुगतान पर यथा स्थिति भवन का विक्रय एवं भूखण्ड की 30 वर्षीय लीज अवधि पर आबंटन हेतु भवन की कीमत / प्रीमीयम की आम निविदा दिनांक 22/04/26 को अपरान्ह 3.00 बजे तक बंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिवस शाम 4.00 बजे उपस्थिति निविदाकर्ताओं के समक्ष निविदा खोली जावेगी। उक्त निविदा हेतु इच्छुक व्यक्ति / संस्था निर्धारित अमानत राशि बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक जो आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय हो, निगम कोष में दिनांक 21/04/26 तक कार्यालयीन अवधि में जमा कर जमा सुरक्षा राशि के रसीद की प्रतिलिपि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करते हुये निविदा में भाग ले सकते हैं।

भवन का प्रकार / क्रमांक	भूखाण्ड क्षेत्रफल	भवन का क्षेत्रफल	भूखाण्ड / भवन का आफसेट प्राईज रूपये	प्रतिभूति की राशि (सुरक्षा / अमानत राशि)
जूनि.एच.आई.जी. 97, 98, 105, 111, 115, 116, 120	11X15=165.00 वर्गमीटर	भूतल – 71.93 वर्गमीटर प्रथम तल – 19.36 वर्गमीटर पोर्च – 10.56 वर्गमीटर	60,00,000 / –	6,00,000 / –

निविदाकर्ता निविदा दिनांक के 01 दिवस पूर्व तक अर्थात दिनांक 21/04/26 तक निविदा प्रपत्र **1,000 / - (एक हजार रुपये)** शुल्क जमाकर कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्राप्त कर सकते है तथा **डी.डी. / बैंक** ड्राफ्ट के माध्यम से **सुरक्षा राशि की रसीद की प्रतिलिपि संलग्न कर** निविदा में भाग ले सकते हैं। भवन का विक्रय एवं भूखण्ड की 30 वर्षीय लीज अवधि पर आबंटन हेतु आम-सूचना व निविदा / प्रस्थापना की शर्ते निगम की वेबसाईड **www.korbamunicipal.in** पर अवलोकन किया जा सकता हैं तथा विस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा के संपदा शाखा से ली जा सकती है।

नोट :-

01. प्रत्येक भवन के लिए पृथक-पृथक अमानत राशि जमा कर पृथक-पृथक निविदा प्रस्तुत करना होगा।
02. निविदा में भाग लेने वाले द्वितीय उच्चतम निविदाकर्ता के द्वारा जमा अमानत राशि निगम के साधारण सभा की स्वीकृति उपरांत शासन की सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही अमानत राशि वापस की जावेगी।
03. भवनों का ले-आउट तथा निविदा की विस्तृत अन्य शर्ते नगर पालिक निगम कोरबा कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।
04. भवन / आवास जैसा है, यथा स्थिति में ही आबंटन किया जावेगा, भवन की वर्तमान स्थिति में निगम द्वारा कोई संधारण नहीं किया जावेगा।
05. निविदा में संलग्न शर्ते निगम में प्रचलित लीज डीड / विक्रय डीड का भाग माना जावेगा।

Sachin

संपदा अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

Kamal/Tener

कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा

जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

भूखण्ड नीलामी/प्रस्थापना की शर्तें

1. भूखण्डों की नीलामी/प्रस्थापना पृथक–पृथक की जावेगी।
2. खुले नीलामी/प्रस्थापना में भाग लेने वाले व्यक्ति को निविदा आमंत्रण सूचना अनुसार नीलामी/प्रस्थापना में भाग लेने के पूर्व निर्धारित अमानत राशि, बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि के कोई भी व्यक्ति नीलामी/प्रस्थापना में भाग नहीं ले सकेगा तथा न ही बोली/प्रस्थापना पर विचार किया जावेगा।
3. उच्चतम निविदा/प्रस्थापना छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 80 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी एवं छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम एवं अचल संपत्ति अंतरण नियम में स्वीकृति के अधीन होगी।
4. छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 80 के तहत, निगम आयुक्त उच्चतम निविदा/प्रस्थापना स्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
5. (अ) उच्चतम निविदा/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा यह सूचना प्राप्त होने पर कि उसकी निविदा/प्रस्थापना शर्त (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लिये गये है, निविदा/प्रस्थापना की शत् प्रतिशत राशि 30 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, परन्तु इस राशि में प्रतिभूति निक्षेप की राशि समायोजित की जायेगी। यदि विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी राशि जमा नहीं की जाती है तब प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभिग्रहित कर ली जायेगी।

   (ब) उच्चतम निविदा/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को बोली की 10 प्रतिशत राशि तत्काल जमा करना होगा (इसमें जमा अमानत राशि समायोजित की जावेगी)। शेष 90 प्रतिशत निविदा की राशि शासन की सक्षम स्वीकृति उपरांत 30 दिवस के भीतर निगम कोष में जमा करना होगा। विलम्ब की अवस्था में 18 प्रतिशत विलम्ब शुल्क देय होगा।
6. यथास्थिति निविदा विक्रय के समाप्त होने पर/प्रस्थापना किये जाने के तत्काल पश्चात यथास्थिति प्रथम 2 उच्चतम निविदाकर्ता/प्रस्थापना करने वालों की प्रतिभूति निक्षेप की राशि छोड़कर शेष सभी की प्रतिभूति निक्षेप की राशि तत्काल वापस कर दी जायेगी।
7. जैसे ही निविदा/प्रस्थापना की पूरी राशि उच्चतम निविदाकर्ता/प्रस्थापना करने वाले द्वारा जमा की जाती है, शेष बचे 01 बोली लगाने/प्रस्थापना करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जायेगी।
8. यदि उच्चतम निविदाकर्ता/प्रस्थापना करने वाले जिसकी निविदा/प्रस्थापना स्वीकृत की गई है, द्वारा निविदा/प्रस्थापना की राशि विहित समय की भीतर जमा नहीं की जाती है, तब शर्त (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वितीय उच्चतम निविदाकर्ता/प्रस्थापना स्वीकृत कर सकेगा तथा यदि ऐसी निविदा लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा भी सूचना मिलने पर विहित कालावधि के भीतर निविदा/प्रस्थापना की राशि जमा नहीं की जाती है, तब ऐसे द्वितीय उच्चतम निविदाकर्ता/प्रस्थापना करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि भी अभिग्रहित कर ली जावेगी।
9. यदि शर्त (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की यह राय हो कि द्वितीय उच्चतम निविदा/प्रस्थापना को स्वीकृत करने के स्थान पर पुनः निविदा विक्रय किया जायेगा/प्रस्थापना आमंत्रित किया जाये, तब यथास्थिति द्वितीय उच्चतम निविदाकर्ता या प्रस्थापना करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जावेगी।

क्रमशः.....(02)

10. प्रत्येक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को केवल एक ही भूखण्ड आबंटन की पात्रता होगी, जिसके लिए उन्हें निर्धारित प्रारूप में शपथ देना होगा।

11. नीलामी/प्रस्थापना में भाग लेने वाले व्यक्ति को आबंटन स्वीकृति की स्थिति में यदि वह विवाहित है तो भूखण्ड का आबंटन उसके तथा उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जावेगा।

12. भूखण्ड की निविदा/प्रस्थापना में भाग लेने वाले व्यक्ति अपनी निविदा/प्रस्थापना देने के पूर्व संबंधित भूखण्ड के क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति एवं प्लाट की यथा स्थिति के बारे में संतुष्ट होकर ही भाग लेंगे। निविदा/प्रस्थापना प्राप्त होने के पश्चात इस संबंध में उनका कोई अभ्यावेदन अथवा दावा स्वीकार योग्य नहीं होगा। किन्तु यदि भूखण्ड का आधिपत्य सौंपने के समय स्थल पर भूखण्ड के आकार में कोई अंतर पाया जाता है तो यथा स्थिति स्वीकृत दर पर अंतर की राशि जमा अथवा वापसी निगम द्वारा की जा सकेगी। इसमें कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।

13. निविदा/प्रस्थापना स्वीकृति की स्थिति में निर्धारित अवधि में पूर्ण राशि जमा करने पर आबंटिती को 6 माह की अवधि के भीतर आबंटित भूखण्ड की लीज डीड पंजीयन (रजिस्ट्री) निर्धारित राशि के स्टाम्प पर स्वयं के व्यय पर कराना अनिवार्य होगा अन्यथा आबंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

14. निविदा में सफल निविदाकर्ता/प्रस्थापना की सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर आबंटिती को निर्धारित 30 दिवस की अवधि में संपूर्ण राशि जमा करते हुए आधिपत्य ग्रहण करना अनिवार्य होगा एवं 06 माह के भीतर भवन निर्माण अनुमति प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में भवन निर्माण कराना होगा।

15. जिस व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक निविदा विक्रय/प्रस्थापना में भूखण्ड लिया जावेगा, वह व्यक्ति निगम की बिना पूर्व स्वीकृति के भूखण्ड का विक्रय नहीं कर सकेगा। नाम परिवर्तन इच्छूक होने पर आबंटिती को नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन करना होगा, जिस पर शासन के दिशा निर्देश के अनुसार विचार किया जाकर स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी, किन्तु भूखण्ड आबंटन के 05 वर्ष के अवधि के अंदर ऐसा आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

16. आबंटिती को आबंटित भूखण्ड का निर्धारित लीज रेन्ट एवं समस्त अन्य करो का भुगतान नगर पालिक निगम कोरबा एवं संबंधित विभाग को करना होगा।

17. नगर पालिक निगम कोरबा के आयुक्त को अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि निविदा के दौरान किसी भी व्यक्ति को युक्तियुक्त कारणों पर निविदा से रोक देवें जिसके लिए व्यक्ति विशेष को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

18. उपरोक्त नीलामी शर्तो के क्रियान्वयन अथवा उसके व्याख्या में कोई विवाद होने पर आयुक्त अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकार प्राप्त व्यक्ति को पंच फैसला हेतु आवेदन किया जावेगा, जिसका निर्णय अंतिम व पक्षकारों को मान्य होगा।

19. कोई निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का नगर पालिक निगम आयुक्त को पूर्ण अधिकार होगा।

20. लीज–डीड हेतु नगर पालिक निगम कोरबा के स्वीकृति इकरारनामा प्रारूप को इन शर्तो का भाग माना जावेगा। दोनों में विरोधाभास होने पर स्वीकृत इकरारनामा प्रारूप को अंतिम माना जावेगा।

21. नगर पालिक निगम द्वारा इस सबंध में समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेश, निर्देश व शर्ते आबंटिती को मानने के लिए बाध्य होगी।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

नगर आयुक्त,
वास्ते आयुक्त,
नगर पालिक निगम कोरबा
(छत्तीसगढ़)